न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/53/2021	2021/192	08–10–2021	27–10–2022

01– बनारसीदास पुत्र स्व. हरिसिंह जाति मीणा निवासी ग्राम रामवास, तहसील मुण्डावर जिला अलवर। (राजस्थान) – अपीलांट

बनाम

01– गीरा पुत्री स्व. हरिसिंह जाति मीणा निवासी ग्राम रामवास, तहसील मुण्डावर जिला अलवर। (राजस्थान)

02– अनिता पुत्री हरिसिंह जाति मीणा निवासी ग्राम रामवास, तहसील मुण्डावर जिला अलवर। (राजस्थान)

03– तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर। (राजस्थान)

04– उप पंजियक मुण्डावर जिला अलवर। (राजस्थान)

– असल रेस्पोडेण्ट

05– रमेश चन्द स्व. हरिसिंह जाति मीणा निवासी ग्राम रामवास, तहसील मुण्डावर जिला अलवर। (राजस्थान)

06– कैलाश चन्द स्व. हरिसिंह जाति मीणा निवासी ग्राम रामवास, तहसील मुण्डावर जिला अलवर। (राजस्थान)

07– मनोज स्व. हरिसिंह जाति मीणा निवासी ग्राम रामवास, तहसील मुण्डावर जिला अलवर। (राजस्थान)

– तरतीबी रेस्पोडेण्ट

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०) ALWAR (RAJ.)

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार मुण्डावर दिनांक 17.10.2013 नामान्तकरण संख्या 557 वाके ग्राम रामबास तहसील मुण्डावर

उपस्थितः–

01–श्री रामेश्वर दयाल	–वकील अपीलान्ट
01–श्री परमानन्द मेहरा	–वकील रेस्पो0 संख्या –1, 2 व 6, 7
01–श्री अमर चन्द चौधरी	–वकील रेस्पो0 संख्या – 5
01–श्री श्री दीपक मीना	–राजकीय अभिभाषक –3 व 4

–:निर्णयः–

अपीलाण्ट ने यह अपील तहसीलदार मुण्डावर के आदेश दिनांक 17.10.2013 नामान्तकरण संख्या 557 वाके ग्राम रामवास तहसील मुण्डावर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में स्वीकृत किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एंव तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 352 रकबा 1.81 है0, 356 रकवा 1.40 है0, 846 रकबा 80 ऐयर वाके ग्राम रामबास तहसील मुण्डावर जिला अलवर में स्थित है, वणित आराजी में 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार हरिसिंह पुत्र मूला जाति मीणा निवासी रामबास खातेदार था, तथा अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट मृतक हरिसिंह के सगे पुत्र व विधिक वारिस है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 मृतक हरिसिंह की लडकी है, जिनकी शादी हरिसिंह ने अपने जीवनकाल में ही करदी थी, जो शादी शुदा है। शादी होने के पश्चात से असल रेस्पोडेन्ट का हक व हिस्सा पैत्रिक जमीन जायदाद में मीणा जाति की रिति रिवाजो के मुताबिक शादी शुदा लडकी का पिता की जायदाद में कोई हक व हिस्सा नही रहता है। जिस सुरत में असल रेस्पोडेन्ट के हक में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने विधि विरूद्व नामान्तकरण मन्जूर किया गया है, मीणा जाति के रिति रिवाजो के मुताबिक पैत्रिक जमीन जायदाद में लडकी की शादी होने के उपरान्त लडकी का पैत्रिक जायदाद में हक व अधिकार खत्म हो जाते है, जिसका स्पष्ट रूप से आर.आर.टी 2011 (2) राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 धारा 135 हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा–2 उल्लेख किया गया है। जिस सूरत में असल रेस्पोडेन्ट के हक में असल रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने विधि विरूद्व नामान्तकरण मन्जूर किया गया है। अपीलान्ट ने हरिसिंह पुत्र मूला की विरासत का नामान्तकरण दर्ज करवाने के लिए मृत्यू प्रमाण–पत्र व वारिस प्रमाण पत्र दिया तथा पटवारी हल्का को अवगत करवाया की मीणा जाति की रिति रिवाजो के मुताबिक पिता की जमीन जायदाद में शादी शुदा लडकी का कोई हक व अधिकार व हिस्सा नही रहता है, लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से मिलकर विवादित नामान्तकरण विधि विरूद्व दर्ज करवाया है। नामान्तकरण दर्ज करते समय मौके पर कब्जा की जॉच नही की गयी है, जबकि असल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का विवादित नामान्तकरण में वर्णित आराजी पर कोई किसी प्रकार से कब्जा व काश्त नही है। दिनाक 31.10.2013 को मिन अपीलान्ट ने पटवारी हल्का से राजस्व रिकार्ड की जानकारी लेनी चाही और राजस्व रिकार्ड व जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो विवादित नामान्तकरण का ज्ञान हुआ जिस पर मिन अपीलान्ट ने विवादित नामान्तकरण की नकल प्राप्त कर असल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को दिनाक 01.11.2013 को मौजिजा व्यक्तियो की मौजुदगी में निरस्त कराने के लिए कहा तो असल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने हॉ करली और आज कल–2 करके टाल बाल करते रहे दिनाक 07.11.2013 को असल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने सर्रेआम विवादित नामान्तकरण को निरस्त करवाने के लिए साफ इन्कार कर दिया और विवादित नामान्तकरण में वर्णित आराजी को विधि विरूद्व नामान्तकरण व रिकार्ड की आड में दिगर लोगो को मुन्तकिल करने की धमकी दी तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनाक 17.10.21013 विधि विरूद्व होने के कारण काबिल अपास्त किये जाने योग्य है, अपील अन्दर अवधि मियाद में पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर पारित निर्णय में रैस्पो0 सं0 1 व 2 के हक में दर्ज कर स्वीकृत किया गया इंतकाल निरस्त फरमाया जावें। वकील अपीलांट ने अपील के समर्थन में आरआरटी 2014 2 पेज 901 से 903 तक एवं आरआरटी 2011 2 पेज 764 से 767 तक नजिर पेश की है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जाहिर किया है कि तहत अदालत के द्वारा नामान्तकरण संख्या 557 वाके ग्राम रामबास तहसील मुण्डावर में वर्णित आराजी किता–3 रकवा 4.01 खातेदार हरिसिहं पि0 मूला हि0मु0ज0मीणा साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड होने के कारण खातेदार खातेदार हरिसिंह की मृत्यू उपरान्त वारिसान की जॉच कर मुताबिक शजरा वारिसान के नामान्तकरण दर्ज कर निणित किया गया है।

– 2 –

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जाहिर किया है कि नामान्तकरण संख्या 557 वाके ग्राम रामबास तहसील मुण्डावर में वर्णित आराजी का मुताबिक शजरा वारिसान के नामान्तकरण दर्ज कर निर्णित किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलान्ट व राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया तहत अदालत के द्वारा नामान्तकरण संख्या 557 वाके ग्राम रामबास तहसील मुण्डावर में वर्णित आराजी किता–3 रकबा 4.01 खातेदार हरिसिहं पि0 मूला हि0मु0ज0 गीणा साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड होने के कारण खातेदार हरिसिंह की मृत्यू उपरान्त वारिसान की जॉच कर मुताबिक शजरा वारिसान अपीलांट एवं रैस्पो0 सं0 1 व 2 तथा तरतीवी रैस्पो0 सं0 5 लगा0 7 के हक में नामान्तकरण दर्ज कर निर्णित किया गया है। वकील अपीलांट द्वारा पेश नजिरे पूर्णतया अपील के समर्थन में चस्पा होती है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का विवादित इंतकाल संख्या 557 निर्णय दिनांक 17.10.2013 वाके ग्राम रामबास तहसील मुण्डावर को निरस्त किया जाता है। अपील अपीलांट तहसीलदार मुण्डावर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है, कि अपीलांट के पिता श्री हरिसिंह पुत्र श्री मूला के विधिक वारिसान की जांच कर नियमों के परिपेक्ष्य में विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली वाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तम सिंह शेखावत)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)